A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टो

प्रकरण सं. - 82/2016 दायरा तारीख - 09.6.20

उनवान

रामभज पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी खोहल्या त. उनियारा

प्रार्थी

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी खोहल्या त. उनियारा

अप्रार्थी

• प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 आरटी. एक्ट 1955 •

उपस्थित -

विद्वान अभिभाषक - 1. श्री कन्हैयालाल ठाडा
2. श्री गजेन्द्र शर्मा

निर्णय

दिनांक - 12.3.20

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खोहल्या के आराजी ख. नं. 534 रकबा 0.15 है, ख. नं. 530 रकबा 0.21 है एवं ख. नं. 648 रकबा 0.29 है प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त है। प्रश्नगत आराजियात से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी जबरन प्रश्नगत आराजियात पर मजाहमत एवं मदाखलत करने पर आमादा है जिससे प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रश्नगत आराजियात में कि प्रकार कि मजाहमत व मदाखलत नहीं करे, ना काश्त में बाधा डाले और न ही कब्जा करने का प्रयास करे और न ही अपने प्राधिकृत व्यक्ति से करवाने का प्रयास करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटि तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री ...... अभिवक्ता ने जवाब-प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थी को दिलवायी

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र मुकर्रर की गयी। बहस हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने पर दिनांक 09-10-19 को बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश नियत थी तत्कालीन अधिकारी का तबादला हो जाने से 04-03-2020 को पुनः बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश मे नियत रखी गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा गौर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान् पर किया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त भी है जिसके प्रमाण में खसरा गिरदावरी पत्रावली पर है। मात्र इकरारनामे के नाम पर हमारे आराजियात पर अप्रार्थी को कोई दखलअंदाजी करने का अधिकार नही है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित होने से सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति की शर्ते भी हमारे पक्ष में स्वतः प्रमाणित होती है। निवेदन है कि दिनांक 09.06.2016 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को प्रश्नगत आराजियात हेतु ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने साथी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि 23.06.2008 को हमने प्रार्थी के साथ दस्तावेज निष्पादित कर कब्जा प्राप्त किया था जो आज भी हमारे कब्जे में है। हमने 90,000/- अक्षरे नब्बे हजार देकर कब्जा प्राप्त किया, एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है न कि प्रार्थी के। इसके पक्ष में अधिवक्ता अप्रार्थी ने RRD 2007 पेज 2900 भी पेश की।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को बलहीन होने से मय हर्जे-खर्चे खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

आदेश

निष्कर्षत: पत्रावली पर संलग्न दस्तावेज जमाबंदी संवत 2070-2073 में खातेदारी प्रार्थी के दर्ज एवं ख. नं. 500/13 व 525 को छोड़कर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मल्लीगढ़ को रहन दर्ज है। खसरा (2070) गिरदावरी में भी कब्जा प्रार्थी का प्रमाणित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दिन 09.06.2016 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को तावैफे मूलवाद कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुना

12/3/18
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक